



2026: AHC: 56237

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 10908/2026

द हेल्थ इक्विपमेंट प्रोपराइटर सूरज शुक्लाआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक के अधिवक्ता : अतुल कुमार, हरि ओम शर्मा, रंजीत कुमार यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 द्वारा शिकायत मामला संख्या 11287/2024 (प्रतीक कुमार कटियार बनाम द हेल्थ इक्विपमेंट प्रोपराइटर सूरज शुक्ला), धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, थाना-बिल्हौर, जिला-कानपुर देहात के तहत पारित समन आदेश दिनांक 24.10.2024 और जमानती वारंट दिनांक 08.01.2026 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पक्षों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के खिलाफ धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि भुगतान के संबंध में विवाद है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. (2010 (5) एससीसी 663) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है। इसके प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत हैं:

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, नेगोशिएबल इंडस्ट्रिमेंट्स एक्ट की धारा 138 के विषय पर कानून सुधार की दिशा में कुछ विचार—मामलों के अंबार से निपटना] (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर]:

'...अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ सजा (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। शिकायतकर्ता की रुचि मुख्य रूप से चेक जारी करने वाले को जेल में देखने के बजाय पैसा वसूलने में होती है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के खिलाफ जो जेल की सजा काटने को तैयार है, चेक धारक के पास उपचार के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि हम एक तरफ उन शिकायतों की संख्या की जांच करें जिन्हें अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'सुलझा' लिया गया था और दूसरी तरफ उन मामलों की जो निर्णय और दोषसिद्धि तक बढ़े, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझा लिया गया था और केवल एक बहुत छोटी संख्या ही जारी रही।'

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक अनादर के अपराध के संबंध में, उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा जताई गई उन आशंकाओं का भी कुछ समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में शमन के माध्यम से सुलझाए या समझौते किए जा रहे हैं, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में, जिससे न्याय वितरण में अनावश्यक देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसमें वे अपने विवाद को हल करने के साधन के रूप में बहुत देरी से शमन को चुनते हैं।"

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायवादी का तर्क यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार शिकायतों पर मजिस्ट्रेटों द्वारा संज्ञान लेने के तुरंत बाद शमन का विकल्प चुनने के बजाय, इसे अंतिम विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि आरोपी व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का जोखिम उठाने को तैयार हैं और फिर समझौते का मार्ग तभी चुनते हैं जब कोई अन्य मार्ग नहीं बचता। हालांकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन ठोस तथ्य यह है कि शमन का विकल्प चुनने में अनावश्यक देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समक्ष लंबित मामलों में योगदान देती है। यदि आरोपी मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का संकेत है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही शमन का विकल्प चुनें। हालांकि, यदि आरोपी के पास अन्य आधारों के अलावा गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसा कोई वैध बचाव है, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।

5. जैसा कि अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए आवेदन कर सकता है तथा चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन दिए जाने पर संबंधित अदालत इस संबंध में कानून के अनुसार पर्याप्त कदम उठा सकती है और आरोपी को इस दिशा में प्रयास करने के लिए और अवसर प्रदान करेगी जो आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके बाद, अदालत आज से पांच महीने की अवधि के भीतर दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगी।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होना होगा और मुकदमे का सामना करना होगा और अदालत अभियुक्त के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

7. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में यह आवेदन दायर किया गया है।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(दीपक वर्मा, जे.) 19 मार्च, 2026 मीनु सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।